न्यायालय: विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ
मामलात (अपर सेशन न्यायाधीश), रावतसर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– राजन खत्री,
R.J.S.(DJ Cadre)

सेशन प्रकरण (NDPS) संख्या :– 35/24 (पुराना नं. 15/2022)

प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या :– 406/2021, पी.एस. रावतसर।

राजस्थान राज्य

– अभियोगी

बनाम

1– सुमन कुमार पुत्र रिछपाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी ढाणी चक 4 एम के एस रोही बशीर, पुलिस थाना टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

2– रामकुमार पुत्र मुन्शीराम, निवासी ढाणी चक 6 के एम बुधवालिया, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़। **(मृत्यु पर कार्यवाही Abate)**।

– अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 29 सपठित धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट

उपस्थित:–

1. श्री उमेश कुमार शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2. श्री हनुमान शर्मा , अधिवक्ता, अभियुक्त सुमन कुमार की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 01.07.2026

1. अभियुक्त रामकुमार पुत्र मुन्शीराम, निवासी ढाणी चक 6 के एम बुधवालिया, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ की दौरान–ए–विचारण मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध दिनांक 17.01.26 को कार्यवाही ड्रोप की गई। अतः इस निर्णय के जरिए अभियुक्त रामकुमार के संबंध में प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

2. थानाधिकारी, पुलिस थाना रावतसर, जिला हनुमानगढ़ की ओर से अभियुक्त रामकुमार के विरुद्ध धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट व अभियुक्त सुमन कुमार के विरूद्ध धारा 8/18 सपठित धारा 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध के लिए आरोप पत्र अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1, नोहर, जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक सामान्य/2024/22, दिनांक 09.12.2024 के द्वारा विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियोजन कहानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.08.2021 को हरवंशलाल कार्यवाहक थानाधिकारी के पद पर पी.एस. रावतसर में तैनात था। उस रोज 05:19 पी.एम. पर वह, अन्य मुलाजमान लक्ष्मीनारायण कानि., विजय सिंह मय जीप प्राइवेट चालक अनिल कुमार कानि. सहित गश्त करने हेतु कस्बा

रावतसर में रवाना हुए थे। दौरान–ए– गश्त न्योलखी रोड़ नहर पुलिया चक 19 डी.डब्ल्यू.डी. पर समय 7:00 पी.एम. पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की गई। दौरान–ए– नाकाबंदी आने जाने वाले वाहनों व व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। समय 7:30 पी.एम. पर न्योलखी की तरफ से एक व्यक्ति अपने दांए हाथ में एक प्लास्टिक का लिफाफा लटकाए हुए रावतसर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जो अचानक उन्हें देखकर वापस मुड़कर जल्दी जल्दी चलने लगा। शक होने पर उसने व साथी मुलाजमान ने उस व्यक्ति को काबू कर नाम पता पूछा व हाथ में लिए हुए लिफाफा बाबत् पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया व उसने अपना नाम रामकुमार बताया था। उसके पास मौजूद लिफाफा की तलाशी ली जानी आवश्यक होने पर स्वतंत्र मौतबिर की तलबी हेतु अनिल कानि. को समय 7:40 पी.एम. पर नोटिस देकर स्वतंत्र मौतबिर की तलबी हेतु रवाना किया व उसने भी अपने स्तर पर आने जाने वाले लोगों को स्वतंत्र मौतबिर बनाने का प्रयास किया, लेकिन सभी ने अपने निजी कार्य का हवाला देकर मौतबिर बनने में असमर्थता जताई। थानाधिकारी ने समय 8:10 पी.एम. पर विजय सिंह को व समय 8:20 पी.एम. पर लक्ष्मीनारायण कानि. को स्वतंत्र मौतबिर बनने का नोटिस देकर लिखित में सहमति प्राप्त कर अभियुक्त रामकुमार के पास मौजूद प्लास्टिक लिफाफे को चैक किया तो लिफाफा हरे रंग का व जिसका मुंह खुला था, उसके अंदर एक पारदर्शी थैली थी, थैली का मुंह धागे से बंद था। थैली के अंदर काला गाढ़ा पदार्थ था। थैली को बाहर निकालकर खोलकर चैक किया तो उसने व साथी मुलाजमान सभी ने सूंघने व अनुभव के आधार पर थैली में मौजूद काले गाढ़े पदार्थ को अफीम होना बताया। अभियुक्त रामकुमार ने भी थैली में मौजूद पदार्थ को अफीम होना बताया। समय 9:05 पी.एम. पर फर्द पहचान मादक पदार्थ तैयार की गई। उक्त अफीम कब्जा में रखने बाबत् रामकुमार से कोई लाइसेंस या परमिट बाबत् पूछा तो नहीं होना बताया। अभियुक्त रामकुमार के पास मिली थैली को कब्जा पुलिस में लेकर कांटे से थैली का पदार्थ सहित वजन किया तो कुल वजन 500 ग्राम पाया गया। थैली में से 50 ग्राम बतौर सैंपल व 50 ग्राम बतौर कंट्रोल सैंपल निकालकर अलग–अलग दूसरी प्लास्टिक की थैली में डालकर मार्क 'क' व 'ख' अंकित किया। शेष बचे 400 ग्राम अफीम को उसी थैली में रहने दिया जाकर सील मोहर कर मार्क 'ग' अंकित किया गया। समय 9:35 पी.एम. पर धारा 67, एन.डी.पी.एस. एक्ट के पूछताछ की रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें रामकुमार ने बताया कि उक्त अफीम उसकी पुत्री ममता कुमार द्वारा अपने जानकार व्यक्ति सुमन उर्फ अमन निवासी रोही बसीर से लेना बताया। अभियुक्त रामकुमार से पूछताछ रिपोर्ट तैयार कर जरिए फर्द कारण गिरफ्तारी से अवगत करवाकर जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द नमूना सील इम्प्रेशन तैयार की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की गई।..... इत्यादि। उक्त कार्यवाही के आधार पर पुलिस थाना रावतसर में प्रकरण संख्या 406/2021 अपराध अंतर्गत 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त रामकुमार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट व अभियुक्त सुमन कुमार

के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 सपठित धारा 29, एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए जाने के पश्चात् अभियुक्त रामकुमार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट व अभियुक्त सुमन कुमार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 सपठित धारा 29, एन.डी.पी.एस. एक्ट में प्रसंज्ञान लिया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त रामकुमार को अपराध अन्तर्गत धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट व अभियुक्त सुमन कुमार को अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 सपठित धारा 29, एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने उक्त आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। **दौरान–ए–अन्वीक्षा अभियुक्त रामकुमार की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध दिनांक 17.01.2026 को कार्यवाही ड्रोप की गई।**

5. अभियुक्त बलवीर के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया:–

गवाह संख्या	गवाह का नाम
पी. डब्ल्यू. 1	विजय सिंह
पी. डब्ल्यू. 2	हरबंशलाल
पी. डब्ल्यू. 3	अमरसिंह

6. दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गए :–

प्रदर्श दस्तावेजात	नाम दस्तावेज
प्रदर्श पी.– 1	फर्द जब्ती
प्रदर्श पी.– 2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
प्रदर्श पी.– 3	नोटिस वास्ते तलबी स्वतंत्र मौतबिर
प्रदर्श पी.– 4 व 5	फर्द बाबत् सहमति मौतबिर
प्रदर्श पी.– 6	फर्द जामा तलाशी मुलाजमान व थानाधिकारी
प्रदर्श पी.– 7	फर्द पहचान मादक पदार्थ
प्रदर्श पी.– 8	पूछताछ रिपोर्ट अभियुक्त रामकुमार
प्रदर्श पी.– 9	फर्द कारण गिरफ्तारी अभियुक्त रामकुमार
प्रदर्श पी.– 10	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त रामकुमार
प्रदर्श पी.– 11	फर्द नमूना सील इन्प्रेशन
प्रदर्श पी.– 12	फर्द नमूना सील नष्टीकरण
प्रदर्श पी.– 13	फर्द रिसील्ड वजह सबूत
प्रदर्श पी.– 14	चिट नमूना सील

प्रदर्श पी.– 15	नजरी नक्शा घटनास्थल
प्रदर्श पी.– 16	तथ्यात्मक रिपोर्ट
प्रदर्श पी.– 17 व 17 ए	नक्शामौका घटनास्थल व हालात मौका
प्रदर्श पी.– 18	फर्द ईत्तला अभियुक्त रामकुमार
प्रदर्श पी.– 19	फर्द तस्दीक क्रय विक्रय स्थल
प्रदर्श पी.– 20 व 20 ए	नक्शामौका क्रय विक्रय स्थल व हालात मौका
प्रदर्श पी.– 21	पूछताछ रिपोर्ट अभियुक्त सुमन कुमार
प्रदर्श पी.– 22	फर्द कारण गिरफ्तारी अभियुक्त सुमन कुमार
प्रदर्श पी.– 23	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त सुमन कुमार
प्रदर्श पी.– 24	सी.डी.आर.
प्रदर्श पी.– 25 व 26	मोर्बाइल नं. की प्रमाणित प्रति व धारा 65 बी सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने बाबत्
प्रदर्श पी.– 27	एयरटेल कम्पनी का धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
प्रदर्श पी.– 28	एफ.एस.एल. जमा रसीद
प्रदर्श पी.– 29	अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी.– 30	अग्रेषण पत्र जारी करवाने बाबत् पत्र
प्रदर्श पी.– 31 ता 37	रोजनामचा की प्रमाणित प्रतियां
प्रदर्श पी.– 38	मालखाना रजि. की प्रमाणित प्रतियां
प्रदर्श पी.– 39	मोर्बाइल नं. की प्रमाणित प्रति व धारा 65 बी सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने बाबत्
प्रदर्श पी.– 40	एयरटेल कम्पनी का धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
प्रदर्श पी.– 41	कॉल डिटेल व कैफ आई. डी. उपलब्ध करवाने बाबत्
प्रदर्श पी.– 42	कॉल डिटेल
प्रदर्श पी.– 43 ता 46	कैफ आई.डी.
प्रदर्श पी.– 47	सी.डी.आर. रिपोर्ट
प्रदर्श पी.– 48 ता 62	धारा 52, एन.डी.पी.एस. कार्यवाही करवाने बाबत् आदेश, रिपोर्ट व फोटोग्राफ्स

7. अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताया है तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

8. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया व मनन किया गया।

9. प्रकरण के निस्तारण के लिए विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है:–

''आया अभियुक्त रामकुमार के द्वारा दिनांक 19.08.2021 को समय 7:30 पी.एम. पर वाके स्थान न्योलखी रोड़ नहर पुलिया चक रोही 19 डी. डब्ल्यू. डी. में पारदर्शी थैली से कुल 500 ग्राम वजन थैली सहित अफीम अपने कब्जे में रखे जाने के अपराध के आपराधिक षड्यंत्र में अभियुक्त सुमन कुमार शामिल था अथवा अभियुक्त सुमन कुमार द्वारा सह–अभियुक्त रामकुमार द्वारा उक्त अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण किया गया?

यदि हां तो दण्ड? ''

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार है:–

11. प्रकरण में परिवादी/गवाह पी.डब्ल्यू. 2 हरबंश लाल ने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 19.08.2021 को वह कार्यवाहक थानाधिकारी के पद पर पुलिस थाना रावतसर में तैनात था। उस रोज समय 5:19 पी.एम. पर वह मय जाब्ता प्राईवेट जीप पर गश्त करने हेतु रवाना हुआ था। समय 7:00 पी.एम. पर उसने मय जाब्ता के न्योलखी रोड़ नहर पुलिया चक 19 डी डब्ल्यू डी पर नाकाबंदी शुरू की थी। समय 7:30 पी.एम. पर एक व्यक्ति न्योलखी की ओर से दाएं हाथ में एक प्लास्टिक का लिफाफा लटकाए हुए आता हुआ दिखाई दिया, जो अचानक उनको देखकर वापस मुड़कर जल्दी–जल्दी चलने लगा। जिस पर शक होने पर उसने एवं साथी मुलाजमान ने काबू किया। उससे हाथ में लिए हुए लिफाफे बाबत् पूछने पर, उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पूछे जाने पर उसने अपना नाम रामकुमार पुत्र मुन्शीराम होना बताया था। उसकी तलाशी लिया जाना आवश्क होने के कारण, कानि. अनिल को स्वतंत्र मौतबिर की तलबी हेतु रवाना किया था तथा स्वयं उसने भी आने–जाने वाले लोगों को स्वतंत्र मौतबिर बनाने का प्रयास किया था। उसके एवं अनिल के द्वारा इस काम में असफल होने पर, उसने अपने जाब्ते में से विजय सिंह और लक्ष्मीनारायण को मौतबिर बनाकर रामकुमार की तलाशी ली थी। उसकी तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली थी। अभियुक्त रामकुमार के पास मौजूद प्लास्टिक लिफाफे को चैक किया तो उसके अन्दर एक पारदर्शी थैली पाई गई, जिसका मुंह धागे से बंद था व थैली में काला गाढ़ा पदार्थ था। थैली को बाहर निकालकर अन्दर रखे सामान को उसने व साथ मुलाजमान ने सूंघा तो अनुभव के आधार पर उसे अफीम होना पाया था। अभियुक्त रामकुमार से अफीम को अपने कब्जे में रखने बाबत् लाईसेंस या परमिट का पूछने पर उसने कोई लाईसेंस या परमिट नहीं होना बताया था। अभियुक्त रामकुमार का यह कृत्य धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध होने के कारण उसके कब्जे में मिली थैली का पदार्थ सहित वजन

किया तो कुल वजन 500 ग्राम होना पाया गया था। थैली में 50 ग्राम बतौर सैम्पल व 50 ग्राम बतौर कन्ट्रोल सैम्पल अलग–अलग दूसरी प्लास्टिक की थैली में डालकर सील मोहर किए गए। शेष बचे 400 ग्राम पदार्थ को उसी थैली में रखते रहने दिया जाकर सील मोहर किया गया था। गवाह पी.डब्ल्यू. 1 विजय सिंह भी अपनी साक्ष्य में परिवादी की उक्त विवेचित साक्ष्य का समर्थन करते हुए ही कथन करता है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 1 के अवलोकन से प्रकट होता है कि इसके जरिए परिवादी ने अपने हमराहा जाब्ता के समक्ष अभियुक्त रामकुमार के कब्जे से कुल 500 ग्राम अफीम बरामद की थी, जिसमें से उक्तानुसार नमूने निकाले गए थे। इन तथ्यों के संबंध में उक्त दोनों गवाहान अपने से की गई जिरह में किसी प्रकरण से संदेहास्पद नहीं हुए हैं। ऐसे में अभियुक्त रामकुमार के कब्जे से जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 1 माल की बरामदगी किए जाने का तथ्य साबित माना जा सकता है। प्रकरण में निकाले गए नमूना सैम्पल को सम्पूर्ण दस्तावेजी कार्यवाही करने के बाद एफ.एस.एल. में जमा करवाया जाना तथा उस सैम्पल का बाद रासायनिक जांच, उसमें मॉर्फिन पाए जाने के कारण उसका अफीम होना पत्रावली पर उपलब्ध एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श सी. 1 से साबित होता है।

12. **इस संबंध में अभियुक्त सुमन कुमार पर यह आरोप है कि वह इस अभियुक्त रामकुमार द्वारा यह अपराध किए जाने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल था अथवा उसके द्वारा सह–अभियुक्त रामकुमार द्वारा यह अपराध किए जाने दुष्प्रेरण किया गया था**? इस संबंध में परिवादी/गवाह पी.डब्ल्यू. 2 हरवंशलाल अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि अभियुक्त रामकुमार ने अपनी धारा 67, एन.डी.पी.एस. एक्ट की पूछताछ में यह बताया था कि उससे बरामदशुदा अफीम उसकी पुत्री ने अभियुक्त सुमन से ली थी। इस पूछताछ रिपोर्ट प्रदर्श पी. 8 पर वह अपने एवं अभियुक्त रामकुमार के हस्ताक्षर होना कथन करता है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी/गवाह पी.डब्ल्यू. 3 अमरसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि दौरान–ए–अनुसंधान अभियुक्त रामकुमार ने उसे धारा 27, साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला प्रदर्श पी. 18 दी थी, जिस पर उसके एवं अभियुक्त रामकुमार के हस्ताक्षर है। ईत्तला अनुसार मूर्तिब की गई फर्द तस्दीक क्रय विक्रय स्थल प्रदर्श पी. 19 एवं उसका नक्शामौका प्रदर्श पी. 20 है। उसके अनुसार उसने अभियुक्त सुमन कुमार की मौतबिरान के समक्ष जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 23 गिरफ्तार किया था। अभियुक्त सुमन कुमार की धारा 67, एन.डी.पी.एस. एक्ट की पूछताछ रिपोर्ट प्रदर्श पी. 21 है, जिस पर उसके एवं अभियुक्त सुमन कुमार के हस्ताक्षर है। उसके अनुसार प्रकरण हाजा में जब्तशुदा मोबाईल नम्बरों की फर्द सी.डी.आर. विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो प्रदर्श पी. 24 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

13. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी/गवाह पी.डब्ल्यू. 3 अमरसिंह द्वारा मूर्तिब की गई अभियुक्त सुमन कुमार की पूछताछ रिपोर्ट अन्तगर्त धारा 67,एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श पी. 21 के अवलोकन से जाहिर होता है कि इसमें

अभियुक्त सुमन कुमार ने अनुसंधान अधिकारी को यह बताया था कि उसने अभियुक्त रामकुमार के पकड़े जाने से करीब पांच–सात दिन पहले उससे बरामदशुदा आधा किलो अफीम रामकुमार के उसकी ढाणी में ले जाकर दी थी। अभियुक्त सुमन कुमार द्वारा अपनी पूछताछ में अनुसंधान अधिकारी को उक्त तथ्य बताया जाना, उसके द्वारा पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति की श्रेणी में आता है, जो कि धारा 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधानुसार अभियुक्त सुमन कुमार के विरूद्ध साबित किए जाने योग्य साक्ष्य नहीं है। अतः इसके आधार पर अभियुक्त सुमन कुमार द्वारा आरोपित अपराध किया जाना साबित नहीं माना जा सकता है।

14. अनुसंधान अधिकारी/गवाह पी.डब्ल्यू. 3 अमरसिंह के अनुसार दौरान–ए–अनुसंधान अभियुक्त रामकुमार ने उसे धारा 27, साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला प्रदर्श पी. 18 दी थी। इस प्रदर्श पी. 18 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि इसके जरिए अभियुक्त रामकुमार ने अनुसंधान अधिकारी को यह बताया था कि उससे बरामदशुदा अफीम अभियुक्त सुमन ने उसकी ढाणी में उसे दी थी तथा उक्त स्थान को वह तस्दीक करा सकता है। अभियुक्त रामकुमार द्वारा अनुसंधान अधिकारी को दी गई इस ईत्तला के अनुसरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा फर्द तस्दीक क्रय विक्रय स्थल मादक पदार्थ प्रदर्श पी. 19 एवं नक्शामौका क्रय विक्रय स्थल मादक पदार्थ प्रदर्श पी. 20 मूर्तिब किया गया है। उनके अवलोकन से प्रकट होता है कि यह स्थान अभियुक्त रामकुमार की ढाणी में स्थित है। किन्तु इनके अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि मौके पर घटना संबंधी कोई आलामात मिले हो। न ही पत्रावली पर ऐसी कोई स्वतंत्र साक्ष्य मौजूद है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्त सुमन कुमार ने सह–अभियुक्त रामकुमार की ढाणी पर जाकर उसे प्रकरण में बरामदशुदा अफीम दी हो। ऐसे में इस ईत्तला प्रदर्श पी. 18 व उसके अनुसरण में मूर्तिब प्रदर्श पी. 19 व प्रदर्श पी. 20 के आधार पर भी अभियुक्त सुमन कुमार का इस घटना में शामिल होना साबित नहीं माना जा सकता है।

15. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी/गवाह पी.डब्ल्यू. 3 अमरसिंह के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा मोबाईल नम्बरों की फर्द सी.डी.आर. विश्लेषण रिपोर्ट प्रदर्श पी. 24 तैयार की थी। इस प्रदर्श पी. 24 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त सुमन कुमार के मोबाईल से एवं मृतक अभियुक्त रामकुमार की पुत्री के मोबाईल पर तथा अभियुक्त रामकुमार के घर के मोबाईल पर कई बार वार्ता हुई थी। किन्तु गवाह पी.डब्ल्यू. 3 अमरसिंह अपनी जिरह में स्पष्टतः स्वीकार करता है कि अभियुक्तगण की आपस में फोन पर क्या बातचीत हुई थी, वह नहीं बता सकता है। ऐसे में इस सी.डी.आर. विश्लेषण रिपोर्ट प्रदर्श पी. 24 के आधार पर भी अभियुक्त सुमन कुमार के द्वारा आरोपित अपराध किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता है।

16. प्रकरण में परिवादी/गवाह पी.डब्ल्यू. 2 हरबंशलाल के अनुसार वक्त बरामदगी अभियुक्त रामकुमार से की गई धारा 67, एन.डी.पी.एस. एक्ट की पूछताछ

प्रदर्श पी. 8 में अभियुक्त रामकुमार ने बताया था कि उससे बरामदशुदा अफीम अभियुक्त सुमन कुमार ने उसकी पुत्री को दी थी। अभियुक्त रामकुमार द्वारा परिवादी को दी गई इस सूचना के आधार पर अभियुक्त सुमन कुमार की घटना में संलिप्तता के बाबत् विधिक स्थिति की विवेचना करे तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1184 में अवधारित किया है कि–**"**Thus, though confession may be regarded as evidence in that generic sense lecause of the provisions of sec. 30, the fact remains that it is not evidence as defined by section 3 of the Act. The result, therefore, it is that in dealing with a case against an accused person, the court cannot start with the confession of a co-accused person. It must legin with other evidence addueed by the prosecution and after it has parmed its opinion with regard to the quatity and effect of the said evidence, then it is permissible to teern to the confession in order to receive assurance to the conclusion of guilt which the judicial mind is alout to reach on the said other evidence.**

-------- that the confession of a co-accused person connot be treated as sulstantive evidence and can be pressed into service only when the court is inclined to accept other evidence and feels the necessity of seeking for an assurance in support of its conclusion deducible from the said evidence." माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अन्य सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **कश्मीरा सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 195 एस.सी. 159** में भी यह अवधारित किया है कि **"The confession of an accused can only be used against the co-accused for leading assurance to any substantive evidence if there be any, to be utilized or acted upon."**माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उक्त दोनों सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त रामकुमार द्वारा अपनी पूछताछ में यह बताया जाना कि बरामदशुदा अफीम अभियुक्त सुमन कुमार से प्राप्त गई थी, सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। इसका उपयोग केवल मात्र अभियुक्त सुमन कुमार के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध अन्य सारवान् साक्ष्य की पुष्टि के लिए ही किया जा सकता है। किन्तु पूर्वोक्त विवेचनानुसार चूँकि पत्रावली पर अभियुक्त सुमन कुमार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विश्वसनीय अभियोगी साक्ष्य पर पूर्णतः अभाव है, जिससे सुमन कुमार को घटना में संलिप्त माना जा सके, अतः केवल मात्र सह–अभियुक्त रामकुमार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभियुक्त सुमन कुमार को प्रकरण में आलिप्त नहीं माना जा सकता है।

17. माननीय बोम्बे हाईकोर्ट ने अपने सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **गोपाल गोविन्द चोगले बनाम सहायक कलेक्टर सेन्ट्रल एक्साईज, महाराष्ट्र, 1985 क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर (महा.) 495 बोम्बे** में अवधारित किया है कि–" **Confessional statement of co-accused cannot be the foundation against other accused even for the purpose of framing of charge.** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने

भी अपने सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **किशनलाल बनाम राजस्थान राज्य, 1995 क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर 3947 राज.** में यह अवधारित किया है कि **"When there was no evidence except confessional statements of co-accused to show even prima-facie involvement of an accused in activity of transport as possession of contraband, framing of charge under sec. 29 of the N.D.P.S. Act against the accused was unjustified.** "उक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों में माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सह–अभियुक्त के संस्वीकृति कथनों के आधार पर किसी अभियुक्त को आरोप विरचित कर सुनाए जाने को भी गलत माना है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में केवल मात्र सह–अभियुक्त रामकुमार के द्वारा दी गई ईत्तला के आधार पर अभियुक्त सुमन कुमार को हस्तगत प्रकरण में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

18. अतः अभियुक्त सुमन कुमार आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 29 सपठित धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट में दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

::आदेश::

19. परिणामतः अभियुक्त सुमन कुमार पुत्र रिछपाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी ढाणी चक 4एम के एस रोही बशीर, पुलिस थाना टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 29 सपठित धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय के समक्ष नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा माल, यदि कोई हो, बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

20. प्रकरण में सह–अभियुक्त रामकुमार पुत्र मुन्शीराम, निवासी ढाणी चक 6 के एम बुधवालिया, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ की दौरान–ए–विचारण मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध उक्त प्रकरण में पूर्व में कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है।

(राजन खत्री)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी
पदार्थ मामलात, रावतसर

21. निर्णय आज दिनांक 01–07–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजन खत्री)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी
पदार्थ मामलात, रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.08 10:52:51 IST